



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2014/चैत्र 11, 1936

No. 181]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2014/CHAITRA 11, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 249 (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 की उपधारा (4), धारा 197 की उपधारा (5) और उपधारा (12), धारा 200, धारा 198 की उपधारा (1), धारा 203 की उपधारा (1), धारा 204 की उपधारा (1) और धारा 205 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (केन्द्रीय सरकार की कंपनियों) साधारण नियम और प्ररूप, 1959 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन इन नियमों के अधीन आने वाले विषयों पर सुसंगत नियमों का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 है।
- (2) ये नियम 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
- (ख) “उपाबंध” से इन नियमों का उपाबंध अभिप्रेत है;
- (ग) “फीस” से कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विहित फीस अभिप्रेत है;

(घ) “प्रादेशिक निदेशक” से केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. नियुक्ति करना – कंपनी, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) की नियुक्ति के छः दिन के भीतर नियुक्ति का विवरण इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट फीस सहित प्रपत्र संख्या एमआर-1 में रजिस्ट्रार के पास दायर करेगी।

4. बैठक फीस – (1) कंपनी बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए किसी निदेशक को बैठक फीस का संदाय कर सकेगी, निदेशक मंडल द्वारा यथानिर्णित ऐसी राशि बोर्ड अथवा उसकी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी:

परंतु स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों के लिए बैठक फीस अन्य निदेशकों को संदत्त बैठक फीस से कम नहीं होगी।

5. बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकटीकरण – (1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी बोर्ड की रिपोर्ट में निम्नलिखित का प्रकटीकरण करेगी –

- (i) किसी वित्त वर्ष के लिए कंपनी के प्रत्येक निदेशक का पारिश्रमिक और कंपनी के कर्मचारियों के पारिश्रमिक के औसत का अनुपात;
- (ii) किसी वित्त वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव अथवा प्रबंधक, यदि कोई हो, के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रतिशत;
- (iii) किसी वित्त वर्ष में कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि;
- (iv) कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की संख्या;
- (v) पारिश्रमिक में औसत वृद्धि और कंपनी के कार्य निष्पादन के बीच संबंध पर स्पष्टीकरण;
- (vi) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक की तुलना में कंपनी का कार्य निष्पादन;
- (vii) सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में कंपनी के बाजार पूंजीकरण में विचलन, वर्तमान वित्त और पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तारीख को मूल्य प्राप्ति अनुपात और कंपनी जिस दर पर पिछली लोक प्रस्थापना लेकर आई थी उसकी तुलना में कंपनी के शेयरों की बाजार बोली में कमी पर प्रतिशत वृद्धि, और असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के निवल मूल्य में विचलन;
- (viii) पिछले वित्त वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिक को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के वेतन में की जा चुकी औसत प्रतिशत वृद्धि और प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि से इसकी तुलना तथा उसका औचित्य और यह भी बताए कि क्या प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि का कारण कोई असाधारण परिस्थिति है;
- (ix) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के प्रत्येक पारिश्रमिक की कंपनी के कार्य निष्पादन से तुलना;
- (x) निदेशकों द्वारा लिए गए पारिश्रमिक के किसी परिवर्तनशील घटक के लिए प्रमुख मानक;

(xi) सर्वाधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले निदेशक के पारिश्रमिक और उन कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अनुपात जो निदेशक नहीं हैं किन्तु सर्वाधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले निदेशक से वर्ष के दौरान, अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं; और

(xii) यह प्रतिज्ञान कि पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुरूप है।

स्पष्टीकरण 1 - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, (i) "माध्यिका" पद से संख्या के उच्चतर आधे से निम्नतर आधे को पृथक करने पर प्राप्त अंकीय मूल्य अभिप्रेत है और अंकों की परिमित सूची के माध्यिका न्यूनतम मूल्य से उच्चतम मूल्य तक सभी प्राप्ति को क्रमबद्ध करते हुए उसका मध्य निकालकर प्राप्त किया जा सकता है;

(ii) यदि पर्यवेक्षणों की संख्या सम है तो माध्यिका दो मध्य मूल्यों का औसत मूल्य होगी।

(2) बोर्ड की रिपोर्ट में कंपनी के उस प्रत्येक कर्मचारी का नाम दर्शाने वाला विवरण शामिल होगा, जो-

(i) यदि पूरे वित्त वर्ष में नियोजित था तो, उसने उस वर्ष के लिए जो पारिश्रमिक प्राप्त किया उसका कुल योग साठ लाख रुपए से कम नहीं था;

(ii) यदि वित्त वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित था तो उस वर्ष के किसी भाग के लिए उसने ऐसी दर पर पारिश्रमिक प्राप्त किया हो जिसका कुल योग प्रतिमाह पांच लाख रुपए से कम न हो;

(iii) यदि पूरे वित्त वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए नियोजित था तो उस वर्ष के लिए कुल पारिश्रमिक प्राप्त किया अथवा, यथास्थिति, ऐसी दर पर प्राप्त किया जो, प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक के वेतन से अधिक था और जो स्वयं अथवा अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का न्यूनतम 2 प्रतिशत धृत करता है।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट विवरण में निम्नलिखित भी उपदर्शित किया जाएगा -

(i) कर्मचारी का पदनाम;

(ii) प्राप्त पारिश्रमिक;

(iii) नियोजन की प्रकृति, संविदात्मक अथवा अन्यथा;

(iv) कर्मचारी की अर्हताएं और अनुभव;

(v) नियोजन प्रारंभ होने की तारीख;

(vi) ऐसे कर्मचारी की आयु;

(vii) ऐसे कर्मचारी का कंपनी में कार्यग्रहण से पूर्व नियोजन;

(viii) उपर्युक्त उप-नियम (2) के उप-खंड (iii) के अर्थान्तर्गत कंपनी में कर्मचारी द्वारा धृत इक्विटी शेयरों का प्रतिशत; और

(ix) क्या ऐसा कोई कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का नातेदार है और यदि हां तो, ऐसे निदेशक या प्रबंधक का नाम:

परंतु भारत के बाहर किसी देश में तैनात और कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के ब्यौरे जो निदेशक नहीं हैं अथवा उनके संबंधी नहीं हैं, किन्तु प्रति वित्त वर्ष में, यथास्थिति, साठ लाख रुपए अथवा पांच लाख रुपए प्रति माह से अधिक, का अंतरण करते हों, भले ही बोर्ड के विनिश्चय के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में सदस्यों को परिचालित नहीं किए गए हों किन्तु ऐसे ब्यौरे कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष वित्तीय विवरण और वार्षिक रिपोर्ट फाइल करते समय फाइल किए जाएंगे:

परंतु यह और कि किसी शेयरधारक द्वारा किसी ऐसी वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से पूर्व किए गए लिखित विनिर्दिष्ट अनुरोध पर यह ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें सुसंगत वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण शेयरधारकों द्वारा अपनाया जाना प्रस्तावित हो और ऐसे ब्यौरे शेयरधारकों से प्राप्त ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराए जाएंगे:

परंतु यह भी कि वार्षिक साधारण बैठक पूर्ण होने की तारीख के पश्चात भी प्राप्त अनुरोध के मामले में ऐसे ब्यौरे शेयरधारकों को ऐसे अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से सात दिन के भीतर उपलब्ध कराए जाएंगे।

6. केंद्रीय सरकार को आवेदन -

केंद्रीय सरकार अथवा कंपनी निम्नलिखित का ध्यान रखेंगे, अर्थात्:-

- (1) पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान कंपनी का वित्तीय और प्रचालन कार्य निष्पादन।
- (2) पारिश्रमिक और कार्य निष्पादन के बीच संबंध।
- (3) कंपनी के भीतर पारिश्रमिक की समानुपातिकता का सिद्धांत, आदर्शतः एक रेटिंग प्रणाली द्वारा जिसमें निदेशकों के पारिश्रमिक की तुलना बोर्ड के ऐसे अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक से की जाती है जो कंपनी के कर्मचारियों अथवा कार्यकारियों से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करता है।
- (4) क्या निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति से भिन्न है और यदि हां तो, इस भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण।

(5) पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति पर गिरवी रखे गए शेयरों के विकल्प और ब्यौरे सहित निदेशक द्वारा धृत प्रतिभूतियां।

7. फीस - (1) अध्याय XIII के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार को किया गया प्रत्येक आवेदन प्रपत्र सं. एमआर-2 में किया जाएगा और इसके साथ इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होगी।

(2) सूचीबद्ध कंपनियों और किसी सूचीबद्ध कंपनियों की अनुषंगी कंपनी से भिन्न अन्य कंपनियां केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना, कोई लाभ नहीं होने अथवा अपर्याप्त लाभ होने की स्थिति में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने प्रबंधकीय व्यक्ति को अनुसूची V के भाग II, खंड II में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्रदान कर सकती है:-

- (i) पारिश्रमिक संदाय बोर्ड द्वारा पारित किसी संकल्प द्वारा अनुमोदित है और, धारा 178 की उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली कंपनी के मामले में नाम-निर्देशन और पारिश्रमिक समिति, यदि कोई हो, द्वारा भी अनुमोदित हो, और ऐसा करते हुए उक्त सीमा से अधिक पारिश्रमिक के संदाय का स्पष्ट कारण और औचित्य लिखित में अभिलिखित किया जाएगा;
- (ii) कंपनी ने ऐसे प्रबंधकीय व्यक्ति को अदायगी की तारीख से पहले पिछले वित्त वर्ष में तीस दिनों की लगातार अवधि के लिए अपने ऋणों (सार्वजनिक जमा सहित) अथवा डिवेंचरों अथवा उस पर देय ब्याज, अधिमान शेयरों तथा अधिमान शेयरों पर ब्याज की अदायगी में कोई व्यतिक्रम नहीं किया हो;

- (iii) तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए, पारिश्रमिक के संदाय के लिए कंपनी की साधारण बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का अनुमोदन;
- (iv) उपर्युक्त उप-नियम (2) के खंड (iii) में निर्दिष्ट साधारण बैठक बुलाने की सूचना के साथ एक विवरण भी होगा जिसमें अधिनियम की अनसूची V के भाग II के खंड II के खंड (ख) के द्वितीय परंतुक के उप-खंड (iv) के अनुसार कथित सीमा से अधिक पारिश्रमिक के संदाय के कारण और औचित्य सहित सूचना शामिल होगी;
- (v) कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल करने हेतु विहित तुलन-पत्र और वार्षिक विवरणी दायर की हो;

(3) केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु ऐसा प्रत्येक आवेदन ऐसी नियुक्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर किया जाएगा।

8. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति -

प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और दस करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की संदत्त शेयर पूंजी वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक होगा।

9. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट - (1) धारा 204 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कंपनियों के अन्य वर्ग निम्नानुसार है:


- (क) पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक की संदत्त शेयरपूंजी वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी; अथवा
- (ख) दो सौ पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक की टर्नओवर वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी।

(2) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप प्रपत्र संख्या **एमआर-3** में होगा।

10. कंपनी सचिव के दायित्व -

कंपनी सचिव निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन भी करेगा, अर्थात् -

- (1) कंपनी के निदेशकों को, सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से, उनके दायित्वों, दायित्वों और शक्तियों के संबंध में उनकी अपेक्षानुसार मार्ग-निर्देश उपलब्ध करना;
- (2) बैठकों के आयोजन को सुकर बनाना और बोर्ड, समिति और आम बैठकों में भाग लेना तथा इन बैठकों के कार्यवृत्त का रखरखाव करना;
- (3) बोर्ड, साधारण बैठक और सरकार तथा अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अन्य प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करना;
- (4) अधिनियम के अधीन विभिन्न दायित्वों के निर्वहन के संबंध में अधिनियम के अधीन विभिन्न विनियामकों, अधिकरण और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करना;
- (5) कंपनी के कार्यों के संचालन में बोर्ड की सहायता करना;
- (6) अच्छा कारपोरेट शासन सुनिश्चित करने और कारपोरेट शासन अपेक्षाओं तथा सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुपालन में बोर्ड की सहायता करना और सलाह देना;
- (7) अधिनियम अथवा नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अन्य दायित्वों का निर्वहन; और
- (8) ऐसे दायित्व जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

<p>प्रपत्र सं. एमआर1</p> <p>[धारा 197 के साथ पठित धारा 196 तथा अनुसूची-V के अनुसरण में तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसरण में]</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति का विवरण</p>
--	---	--

प्रपत्र की भाषाअंग्रेजीहिंदी

प्रपत्र दाखिल करने के लिए निर्देशों का संदर्भ लें

1. (क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन).....(पूर्व पूरित)
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....
2. (क) कंपनी का नाम
(ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता
3. (क) निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या आयकर
स्थायी खाता संख्या (पीएएन) या सदस्यता संख्या.....
(ख) नाम
4. पदनामप्रबंधक..... प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक.....
सीईओ.....सीएफओसचिव
5. निदेशक मंडल द्वारा संकल्प की तिथि (दिन/माह/वर्ष)
6. नियुक्ति की प्रभावी तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)
7. पारिश्रमिक समेत नियम और शर्तें
(क) पारिश्रमिकप्रतिमाहप्रतिवर्ष
i वेतन (रू. में)
ii पूर्वापेक्षा (रू. में)
iii अन्य (रू. में)
iv (i) और (iii) का कुल योग (रू. में)
- (ख) नियुक्ति की अवधि से (दिन/माह/वर्ष)
..... तक (दिन/माह/वर्ष)
- (ग) अन्य शर्तें, यदि कोई हो
.....
.....
8. *(क) क्या नियुक्त व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से ज्यादा हैहांनहीं
(ख) यदि हां, तो नियुक्ति को अनुमोदित करने के लिए पक्षकारों द्वारा विशेष संकल्प पारित करने की तिथि.....
(ग) संबद्ध प्रपत्र सं. एमजीटी.14 का एसआरएन (विशेष संकल्प दाखिल करने के लिए).....
9. *(क) क्या नियुक्त व्यक्ति को अनुसूची V के भाग-I में उल्लिखित किसी अधिनियम में अपराधी या दोषी ठहराया गया है।
.....हां.....नहीं

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की तारीख.....

10. * (क) क्या आम सभा में उक्त नियुक्ति के लिए सदस्यों से अनुमोदन लिया गया था हां..... नहीं

(ख) यदि हां, तो संकल्प पारित करने की तारीख

(ग) प्रपत्र सं. एमजीटी. 14 का एसआरएन (विशेष संकल्प दाखिल करने के लिए).....

11. * (क) क्या नियुक्त व्यक्ति को अधिनियम की धारा 164 के तहत निदेशकों की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया है हां..... नहीं

12. (ख) यदि हां, तो ब्यौरे दें.....

.....

संलग्नक

- | | |
|---|---------------|
| 1)*बोर्ड संकल्प की प्रति | (संलग्न करें) |
| 2) पक्षकारों के संकल्प की प्रति | (संलग्न करें) |
| 3) केंद्र सरकार के अनुमोदन की प्रति, यदि कोई हो | (संलग्न करें) |
| 4) प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधन/सीआईओ/सीएफओ/सचिव के रूप में कार्य करने हेतु सहमति-पत्र | (संलग्न करें) |
| 5) कंपनी की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का इस आशय के प्रमाणपत्र की प्रति, यदि कोई हो कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा रहा है। | (संलग्न करें) |
| 6) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो | (संलग्न करें) |

घोषणा

मैं कंपनी की निदेशक मंडल के संकल्प संख्या.....तारीख.....द्वारा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं तथा यह घोषित करता हूं कि इस प्रपत्र या इससे संबंधित मामलों की विषयवस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सभी सूचना इस प्रपत्र के संलग्नकों समेत सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्रपत्र से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है।

*डिजिटल हस्ताक्षर हेतु (डीएससी बॉक्स)

*पदनाम.....

* निदेशक का डीआईएन, प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पीएन या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

प्रैक्टिस कर रहे व्यावसायिकों द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं यह घोषित करता हूं कि मुझे इस प्रपत्र के प्रमाणन के प्रयोजनार्थ विहित रूप से नियुक्त किया गया है। एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्रपत्र की विषयवस्तु और उससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों का अध्ययन किया है और उपर्युक्त विवरणों (संलग्नकों समेत) का सत्यापन कंपनी द्वारा रखे गए

मूल अभिलेखों से किया है जो इस प्रपत्र की विषयवस्तु है और यह पाया है कि वे सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्रपत्र से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि ;

(क) उक्त रिकॉर्ड उचित ढंग से तैयार किए गए है कंपनी के अपेक्षित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अनुसार रखे गए हैं तथा सही पाए गए हैं,

(ख) सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण और स्पष्ट रूप से प्रपत्र के साथ संलग्न किए गए है।

***डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु**

....चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में)या (डीएससी बॉक्स)

....लागत लेखाकार (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में)या

....कंपनी सचिव (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में)

क्या एसोसिएट या फैलो है एसोसिएट..... फैलो

सदस्यता सं..... प्रैक्टिस सं. का प्रमाणपत्र

नोट: धारा 448 तथा 449 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें झूठे विवरण के लिए दंड तथा झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

.....संशोधित..... फॉर्म चेक करें.....पूर्व संवीक्षा.....प्रस्तुत

सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु(दायर करने संबंधी विवरण संबंध करें)

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध सं. (एसआरएन).....ई -फॉर्म जमा करने की तारीख
.....(दिन/माह/वर्ष)

इस ई-फॉर्म को एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर (जमा करने की पुष्टि करें)

हस्ताक्षर की तिथि.....(दिन/माह/वर्ष)

<p>प्रपत्र सं. एमआर 2</p> <p>[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196,197,200,201(1), 203(1) तथा अनुसूची-V और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 7 के अनुसरण में]</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति तथा पारिश्रमिक या पारिश्रमिक में वृद्धि या अतिरिक्त भुगतान का अधित्याग तथा निदेशकों को कमीशन या पारिश्रमिक का अनुमोदन देने के लिए केंद्र सरकार को दिए जाने वाले आवेदन का प्रपत्र</p>
--	---	--

प्रपत्र की भाषाअंग्रेजीहिंदी

प्रपत्र दाखिल करने के लिए निर्देशों का संदर्भ लें

- (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन).....(पूर्व पूरित)
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....
- (क) कंपनी का नाम
(ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता
.....
(ग) *कंपनी की ई-मेल आईडी
- निगमीकरण की तारीख(कैलेंडर) (दिन/माह/वर्ष)
- (क) *यह प्रपत्र निम्नलिखित के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दाखिल किया जा रहा है।

*अनुसूची V के भाग-I के अनुपालन किए बिना नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति

*निवल लाभ 11 प्रतिशत से ज्यादा होने पर पारिश्रमिक का भुगतान

*वित्तीय विशेष वर्ष के दौरान दिए गए अतिरिक्त पारिश्रमिक का अधित्याग

*अनुसूची-V में निर्धारित सीमाओं से ज्यादा पारिश्रमिक का भुगतान

(ख) क्या आवेदन समय पर दाखिल किया गया है

.....हां.....तहीं

- (1) प्रस्तावित नियुक्ति या व्यक्ति के विवरण जिसके लिए आवेदन दाखिल किया गया है
निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या आयकर स्थायी खाता सं. (आयकर पैन).....(पूर्व पूरित)

नाम.....

पता.....

पिता का नाम.....

राष्ट्रीयता.....

जन्म तिथि..... (कैलेंडर) (दिन/माह/वर्ष)

जन्म स्थान

नियुक्त व्यक्ति या व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक अर्हताएं तथा संक्षिप्त लाभ जिसके संबंध में आवेदन दाखिल किया गया है।

.....
 अनुभव.....वर्ष.....माह.....

(2) नियुक्त व्यक्ति यदि विदेशी नागरिक है तो निम्नलिखित ब्यौरे भी प्रस्तुत करें

-
 (i) आईएसओ कंट्री कोड
 (ii) देश
 (iii) पासपोर्ट सं.
 (iv) पासपोर्ट की वैधता
 (v) व्यवसाय

6. (क) क्या

.....नियुक्त है.....पुनर्नियुक्त है

(ख) नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की प्रभावी तारीख(कैलेंडर) (दिन/माह/वर्ष)

(ग) प्रस्तावित पद.....

7. (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-V के भाग-1 का कौन से खंड/खंडों का अनुपालन नहीं किया गया है।

(ख) धारा और अधिनियम, जिसके तहत नियुक्त व्यक्ति को दोषी या अपराधी ठहराया गया था।

(ग) अपराध के ब्यौरे जिसके कारण प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति को अयोग्य करार किया गया है।

8. (क) क्या प्रस्तावित नियुक्ति या व्यक्ति, जिसके लिए आवेदन दाखिल किया गया है, अधिनियम की धारा 164 (2) में उल्लिखित किसी अर्हकताओं को पूरा नहीं करते हैं। हां.....नहीं.....

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे प्रस्तुत करें

9. उक्त नियुक्ति का औचित्य.....

10. उक्त नियुक्ति के लिए पारित संकल्प का ब्यौरा

(क) बोर्ड संकल्प पारित करने की तारीख.....(कैलेंडर) (दिन/माह/वर्ष)

(ख) नामांकन समिति तथा पारिश्रमिक समिति के संकल्प की तारीख.....

(ग) सदस्यों के संकल्प की तारीख.....

11. कंपनी की वित्तीय स्थिति

(1) कंपनी द्वारा दाखिल तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के अनुसार ठीक पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय मापदंड(पूर्व पूरित)

(राशि रू. में)			
विवरण	तुलन-पत्र की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	तुलन-पत्र की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	तुलन-पत्र की तारीख (दिन/माह/वर्ष)
दाखिल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)			
प्रदत्त पूंजी			
आरक्षित और अधिशेष			
लाभ-हानि लेखा (नामे शेष)			
घरेलू कारबार			
आयात कारबार			
कुल आय			
प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
कुल व्यय			
निवल लाभ या निवल हानि (कर और विनियोजन से पहले)			
आस्थगित कर समेत आयकर			
घोषित लाभांश (अंतरिम लाभांश समेत)			

(2) अधिनियम की धारा 198 के तहत परिकलित किए गए निवल लाभ और हानि तथा तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भुगतान किए गए पारिश्रमिक के ब्यौरे

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े	समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े	समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े
धारा 198 के तहत परिकलित किए गए लाभ और हानि			
उपर्युक्त लाभ का 11%			
सभी प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया कुल पारिश्रमिक			

(राशि रू. में)

12. प्रत्येक निदेशक या प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के लिए पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान अलग-अलग भुगतान किया गया प्रबंधकीय पारिश्रमिक.....

* उपर्युक्त व्यक्तियों की संख्या जिन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया गया.....

(अधिकतम 5 व्यक्तियों के ब्यौरे यहां दिए जा सकते हैं। 5 से अधिक व्यक्ति होने की स्थिति में वैकल्पिक संलग्नक के रूप में ब्यौरे उपलब्ध कराएं)

(सर्वप्रथम सभी कार्यकारी निदेशकों तथा उसके बाद गैर-कार्यकारी निदेशकों से संबंधित ब्यौरे दें)

(i) डीआईएन/पीएएन

(पूर्व पूरित)

- (ii) नाम
- (iii) पदनाम.....
- (iv) निदेशक की स्थिति में बताएं कि कार्यकारी है या गैर-कार्यकारी.....
.....कार्यकारी.....गैर-कार्यकारी
- (v) तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आवेदक कंपनी द्वारा प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नलिखित है:

अवधि	वेतन	पूर्वापेक्षा व भत्ते	कमीशन, बोनस तथा कार्य निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन	सेवानिवृत्ति लाभ	अन्य	कंपनी के कुल लागत	धारा 198 के तहत निवल लाभों का%	क्या सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया है
से (दिन/माह/वर्ष)	तक (दिन/माह/वर्ष)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

13. (i) नियुक्त व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसके लिए आवेदन दाखिल किया गया है, द्वारा किसी अन्य कंपनी में आवेदन दाखिल करने की तारीख से प्रति वर्ष पारिश्रमिक के ब्यौरे (पूर्वापेक्षा और कमीशन समेत):

कंपनी का सीआईएन	कंपनी का नाम (पूर्व पूरित)	पदनाम	राशि (रू. में)

(ii) किसी अन्य क्षमता में उसके द्वारा कंपनी से प्राप्त पारिश्रमिक (पूर्वापेक्षा और कमीशन समेत) के ब्यौरे:

पदनाम	भुगतान की राशि	राशि(रू. में)

14. पारित किए गए संकल्प (संकल्पों) के ब्यौरे:

(क) बोर्ड संकल्प की तारीख.....(कैलेंडर) (दिन/माह/वर्ष)

(ख) नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संकल्प की तारीख.....(कैलेंडर) (दिन/माह/वर्ष)

(ग) शेयरधारकों के संकल्प की तारीख.....(कैलेंडर) (दिन/माह/वर्ष)

संकल्प के प्रकारसामान्यविशेष

विशेष संकल्प की स्थिति में, प्रपत्र सं.एमजीटी.14 का एसआरएन

15. क्या कंपनी ने अनुसूची-V के भाग-II में निर्धारित 30 दिनों की निरंतर अवधि के लिए अपने ऋण (सार्वजनिक जमाराशियों समेत) या डिबेंचर या उस पर दिए जाने वाले ब्याज के पुनः भुगतान में कोई चूक की हैहां.....नहीं
यदि हां, तो उसके ब्यौरे प्रस्तुत करें

16. निवल लाभ के 11% से ज्यादा होने पर पारिश्रमिक के भुगतान की स्थिति में

(क) चालू वर्ष का अनुमानित लाभ या हानि (धारा 198 के तहत परिकलित).....

(ख) उक्त लाभ का 11%.....

(ग) प्रस्तावित पारिश्रमिक.....

(घ) प्रस्तावित पारिश्रमिक संबंधी ब्यौरे

अवधि	वेतन	पूर्वापेक्षा व भत्ते	कमीशन, बोनस तथा कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन	सेवानिवृत्ति लाभ	अन्य	कंपनी को कुल लागत	धारा 198 के तहत निवल लाभों का%	क्या सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया है।
से (दिन/माह/वर्ष)	तक (दिन/माह/वर्ष)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ड) प्रस्ताव का औचित्य

.....
.....

17. कंपनी को शून्य लाभ या अपर्याप्त लाभ होने की स्थिति में,

(क) क्या कंपनी का विचार धारा 197 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक या शून्य अथवा अपर्याप्त लाभ की स्थिति में न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान करने का है (रेडियो बटन)

.....हां.....नहीं

नोट: उक्त बिंदु के तहत आवेदन के लिए अलग शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को कंपनी अधिनियम की अनुसूची V के तहत परिकलित वास्तविक पूंजी (जो भी पहले हो)

.....

(ग) हानि या अपर्याप्त लाभ के कारण

.....

.....

(घ) प्रस्तावित पारिश्रमिक और उसके व्यौरे :

अवधि		वेतन	पूर्वापेक्षा व भत्ते	कमीशन, बोनस तथा कार्य निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन	सेवानिवृत्ति लाभ	अन्य	कुल
से (दिन/माह/वर्ष)	तक (दिन/माह/वर्ष)						

(ङ) यदि प्रस्तावित पारिश्रमिक एक वर्ष से अधिक का है तो प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष या उसकी अवधि के लिए उक्त पारिश्रमिक :

(क) अवधि		वेतन	पूर्वापेक्षा व भत्ते	कमीशन, बोनस तथा कार्य निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन	सेवानिवृत्ति लाभ	अन्य	कुल
से (दिन/माह/वर्ष)	तक (दिन/माह/वर्ष)						

- (च) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के खंड (खंडों) जिनका अनुपालन नहीं किया, के ब्यौरे, जिसकी वजह से वर्तमान आवेदन भरा जा रहा है.....
- (छ) पारिश्रमिक में प्रस्तावित वृद्धि संबंधी ब्यौरे
.....
.....
- (ज) प्रस्ताव का औचित्य
.....

अधित्याग

18. अधित्याग की स्थिति में,

1. भुगतान किए गए अतिरिक्त पारिश्रमिक के ब्यौरे:

(क) अवधि		भुगतान किया गया कुल पारिश्रमिक	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत पात्रता	अतिरिक्त पारिश्रमिक का अधित्याग
से (दिन/माह/वर्ष)	तक (दिन/माह/वर्ष)			

2. परिस्थितियां, जिसकी वजह से अधिकतम सीमा के बाद ऊपर उक्त राशि का भुगतान किया गया
.....
.....

3. अधित्याग का दावा करने के कारण
.....
.....

संलग्नक

- पूर्ववर्ती लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-V के तहत परिकल्पित वास्तविक पूंजी के गणना पत्र की प्रति; **(संलग्न करें)**
- *निदेशक मंडल के संकल्प की प्रति (प्रतियां) **(संलग्न करें)**
- नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति की इसके संघटक तथा पदनाम समेत संकल्प की प्रति तथा कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार पारिश्रमिक प्रभावी करने हेतु उक्त समिति द्वारा प्रमाणपत्र; **(संलग्न करें)**
- नोटिस और स्पष्टीकरण विवरण समेत पक्षकार/पक्षकारों के संकल्प की प्रति **(संलग्न करें)**

5. * अधिनियम की धारा 196 के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा या कंपनी सचिव या प्रैक्टिसरत कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र (संलग्न करें)
6. कंपनी के निदेशक या कंपनी सचिव से उक्त प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति की तारीख से पहले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 30 दिनों की निरंतर अवधि के लिए ऋण (सार्वजनिक जमाराशियों या डिबेंचरों या उस पर दिए जाने वाले व्याज समेत) का पुनः भुगतान करने में चूक न होने संबंधी प्रमाणपत्र (संलग्न करें)
7. वित्तीय संस्थान (संस्थानों) या बैंक (बैंकों) से अनापत्ति प्रमाणपत्र, जिसमें कंपनी चूककर्ता है (संलग्न करें)
8. पुनर्स्थापना या पुनर्वास की प्रति समेत बीआईएफआर या एनसीएलटी के आदेश की प्रति (संलग्न करें)
9. कंपनी और प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति के मध्य हुए प्रारूप करार की प्रति (संलग्न करें)
10. अखबार की क्लिपिंग जिसमें धारा 201 की उपधारा (क) का खंड (ख) के अनुसरण में नोटिस प्रकाशित किया गया (संलग्न करें)
11. नियुक्त व्यक्ति के विदेशी नागरिक होने की स्थिति में, रोजगार वीजा/ पासपोर्ट की प्रति (संलग्न करें)
12. शैक्षिक या व्यावसायिक अर्हताओं के प्रमाणपत्र की प्रतियां (संलग्न करें)
13. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के भाग-II की धारा-II तीसरे परंतुक की मद (iv) के अनुसार ब्यौरे (संलग्न करें)
14. अगले तीन वर्षों के लिए टर्नआवर और निवल लाभ का आकलन (संलग्न करें)
15. अधिनियम की धारा 198 के तहत अनुमानित लाभ का परिकलन (संलग्न करें)
16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के अनुसरण में लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र (संलग्न करें)
17. विलंब हेतु माफी के लिए अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत आवेदन (संलग्न करें)
18. नियुक्त व्यक्ति के जीवनवृत्त (बायोडाटा) समेत प्रस्ताव के पक्ष में पूर्ण और उपर्युक्त औचित्य (संलग्न करें)
19. प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति को नियुक्त/पुनर्नियुक्त करने समय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी दस्तावेजी प्रमाण (संलग्न करें)
20. इससे पहले अधिसूचित किए जाने पर पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत कंपनी सचिव या सीए/सीएस द्वारा प्रमाणपत्र (संलग्न करें)
21. ब्यौरे, यदि आवेदक कंपनी सूचीबद्ध कंपनी की अनुषंगी है (संलग्न करें)
22. नियुक्त व्यक्ति की दिए जाने वाले अतिरिक्त पारिश्रमिक की गणना समेत पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत सीए/सीएस से प्रमाणपत्र (संलग्न करें)
23. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो (संलग्न करें)

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल की संकल्प संख्या.....तारीख.....द्वारा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ तथा यह घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र या इससे संबंधित मामलों की विषयवस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि ;

1. प्रपत्र और उसके संलग्नकों में दी गई सूचना सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्रपत्र की विषयवस्तु से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है तथा सूचना कंपनी द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।
2. सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण और स्पष्ट रूप से प्रपत्र के साथ संलग्न किए गए हैं।

***डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु (नीचे जाएं) (डीएससी बॉक्स)**

नोट: धारा 448 तथा 449 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसमें झूठे विवरण के लिए दंड तथा झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

.....संशोधित..... फॉर्म चेक करें.....पूर्व संवीक्षा.....प्रस्तुत

सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु(दायर करने संबंधी विवरण संबंधित करें)

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध सं. (एसआरएन).....ई -फॉर्म जमा करने की तारीख
.....(दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

इस ई-फॉर्म को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है

इस ई-फॉर्म को एतद्वारा अस्वीकृत किया जाता है

हस्ताक्षर की तिथि.....(दिन/माह/वर्ष) (जमा करने की पुष्टि करें)

प्रपत्र संख्या एमआर-3**सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

..... को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

[धारा 204(1) और नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

..... को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

सेवा में,

सदस्य,

.....लिमिटेड

मैंने/हमने..... (कंपनी का नाम) (जिसे इसके बाद कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कारपोरेट व्यवहारों को अपनाने के संबंध में सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई है जिससे मुझे/हमें कारपोरेट संचालनों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपने विचार रखने का तर्कसंगत आधार प्राप्त हुआ।

.....(कंपनी का नाम) की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों एवं सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना भी, मेरे/हमारे सत्यापन के आधार पर, मैं/हम एतद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि मेरे/हमारे विचार से कंपनी ने, को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में यहां की गई रिपोर्ट के तरीके और उसके अधीन उपयुक्त बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र भी है:

मैंने/हमने....., को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ("कंपनी") द्वारा रखे गए बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप विधियां;
- (iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सीमापार प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक;
- (v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विहित निम्नलिखित

विनियम और मार्ग निर्देश;

- (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 1992;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) मार्ग-निर्देश, 1999;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियां जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008;
- (च) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों से व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009;
- (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998;
- (vi) (कंपनी की लेखापरीक्षा पर विशिष्ट रूप से लागू अन्य कानूनों का उल्लेख करें)

मैंने/हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
- (ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज/एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौते, यदि लागू हों;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्ग-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

टिप्पणी: उपर्युक्त पैरा-वार के संबंध में विशिष्ट गैर-अनुपालनों / टिप्पणियों / लेखापरीक्षा निष्कर्षों, कमियों अथवा विपरीत टिप्पणियों के रिपोर्ट दें।

मैं/हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विहित रूप से गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों की समय-सूची के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजी गई थी और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर और सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए तंत्र विद्यमान है।

बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय पर कार्यवाही की जाती है, जबकि अलग मत रखने वाले सदस्यों के मतों

को लिखा और कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

मैं/हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मार्ग-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में उपयुक्त तंत्र और प्रक्रियाएं हैं।

टिप्पणी: लेखापरीक्षा अवधि के संबंध में बोर्ड की संरचना / तंत्र और प्रक्रियाओं से संबंधित विशिष्ट टिप्पणियां / लेखापरीक्षा निष्कर्षों, कमियों और विपरीत टिप्पणियों की रिपोर्ट भी करें।

मैं/हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने..... कार्य किए गए हैं (ऊपर संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, मार्ग-निर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों/ कार्यों का ब्यौरा दें)। उदाहरणार्थ :

- (i) शेयरों / डिबेंचरों / स्वेट इक्विटी, आदि का सार्वजनिक / राइट / अधिमान इश्यू।
- (ii) प्रतिभूतियों की ऋणमुक्ति / पुनः खरीद
- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय
- (iv) विलय / सम्मेलन / पुनः निर्माण, आदि
- (v) विदेशी तकनीकी सहयोग

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

पेशारत कंपनी सचिव/फर्म नाम:

एसीएस/एपसीएस संख्या

सीपी संख्या:

टिप्पणी: लेखापरीक्षा निष्कर्षों के अनुच्छेद-वार ब्यौरे, यदि आवश्यक हों, रिपोर्ट के साथ उपाबंध में लगाए जाएंगे।

[फा. सं. 01/05/2013-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R 249(E).— In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 196, sub-section (5) of section 197, sub-section (12) of section 197, section 200, sub-section (1) of section 198, sub-section (1) of section 203, sub-section (1) of section 204 and sub-section (1) of section 205 of the Companies Act, 2013, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 or any other relevant rules prescribed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.

2. Definitions.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (b) "Annexure" means the Annexure to these rules;
- (c) "Fees" means the fees as specified in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014;
- (d) "Form" or "e form" means a form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;
- (e) "Regional Director" means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director;
- (f) "section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and said rules.

3. Filing of return of appointment.-A company shall file a return of appointment of a Managing Director, Whole Time Director or Manager, Chief Executive Officer (CEO), Company Secretary and Chief Financial Officer (CFO) within sixty days of the appointment, with the Registrar in Form No. **MR.1** along with such fee as may be specified for this purpose.

4. Sitting fees.-A company may pay a sitting fee to a director for attending meetings of the Board or committees thereof, such sum as may be decided by the Board of directors thereof which shall not exceed one lakh rupees per meeting of the Board or committee thereof:

Provided that for Independent Directors and Women Directors, the sitting fee shall not be less than the sitting fee payable to other directors.

5. Disclosure in Board's report.-(1) Every listed company shall disclose in the Board's report-

- (i) the ratio of the remuneration of each director to the median remuneration of the employees of the company for the financial year;
- (ii) the percentage increase in remuneration of each director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year;
- (iii) the percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year;

- (iv) the number of permanent employees on the rolls of company;
- (v) the explanation on the relationship between average increase in remuneration and company performance;
- (vi) comparison of the remuneration of the Key Managerial Personnel against the performance of the company;
- (vii) variations in the market capitalisation of the company, price earnings ratio as at the closing date of the current financial year and previous financial year and percentage increase over decrease in the market quotations of the shares of the company in comparison to the rate at which the company came out with the last public offer in case of listed companies, and in case of unlisted companies, the variations in the net worth of the company as at the close of the current financial year and previous financial year;
- (viii) average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration;
- (ix) comparison of the each remuneration of the Key Managerial Personnel against the performance of the company;
- (x) the key parameters for any variable component of remuneration availed by the directors;
- (xi) the ratio of the remuneration of the highest paid director to that of the employees who are not directors but receive remuneration in excess of the highest paid director during the year; and
- (xii) affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the company.

Explanation.- For the purposes of this rule.- (i) the expression “median” means the numerical value separating the higher half of a population from the lower half and the median of a finite list of numbers may be found by arranging all the observations from lowest value to highest value and picking the middle one;

(ii) if there is an even number of observations, the median shall be the average of the two middle values.

(2) The board’s report shall include a statement showing the name of every employee of the company, who-

- (i) if employed throughout the financial year, was in receipt of remuneration for that year which, in the aggregate, was not less than sixty lakh rupees;
- (ii) if employed for a part of the financial year, was in receipt of remuneration for any part of that year, at a rate which, in the aggregate, was not less than five lakh rupees per month;
- (iii) if employed throughout the financial year or part thereof, was in receipt of remuneration in that year which, in the aggregate, or as the case may be, at a rate which, in the aggregate, is in excess of that drawn by the managing director or whole-time director or manager and holds by himself or along with his spouse and dependent children, not less than two percent of the equity shares of the company.

(3) The statement referred to in sub-rule (2) shall also indicate -

- (i) designation of the employee;
- (ii) remuneration received;
- (iii) nature of employment, whether contractual or otherwise;
- (iv) qualifications and experience of the employee;
- (v) date of commencement of employment;
- (vi) the age of such employee;
- (vii) the last employment held by such employee before joining the company;
- (viii) the percentage of equity shares held by the employee in the company within the meaning of clause (iii) of sub-rule (2) above; and
- (ix) whether any such employee is a relative of any director or manager of the company and if so, name of such director or manager:

Provided that the particulars of employees posted and working in a country outside India, not being directors or their relatives, drawing more than sixty lakh rupees per financial year or five lakh rupees per month, as the case may be, as may be decided by the Board, shall not be circulated to the members in the Board's report, but such particulars shall be filed with the Registrar of Companies while filing the financial statement and Board Reports:

Provided further that such particulars shall be made available to any shareholder on a specific request made by him in writing before the date of such Annual General Meeting wherein financial statements for the relevant financial year are proposed to be adopted by shareholders and such particulars shall be made available by the company within three days from the date of receipt of such request from shareholders:

Provided also that in case of request received even after the date of completion of Annual General Meeting, such particulars shall be made available to the shareholders within seven days from the date of receipt of such request.

6. Applications to the Central Government.-

The Central Government or the company shall have regard to the following matters, namely:-

- (1) the Financial and operating performance of the company during the three preceding financial years.
- (2) the relationship between remuneration and performance.
- (3) the principle of proportionality of remuneration within the company, ideally by a rating methodology which compares the remuneration of directors to that of other directors on the board who receives remuneration and employees or executives of the company.
- (4) whether remuneration policy for directors differs from remuneration policy for other employees and if so, an explanation for the difference.
- (5) the securities held by the director, including options and details of the shares pledged as at the end of the preceding financial year.

7. Fees.- (1) Every application made to the Central Government under the provisions of Chapter XIII shall be made in Form No. **MR.2** and shall be accompanied by fee as may be specified for the purpose.

(2) The companies other than listed companies and subsidiary of a listed company may without Central Government approval pay remuneration to its managerial personnel, in the event of no profit or inadequate profit beyond ceiling specified in Section II, Part II of Schedule V, subject to complying with the following conditions namely:-

- (i) payment of remuneration is approved by a resolution passed by the Board and, in the case of a company covered under sub-section (1) of section 178 also by the Nomination and Remuneration Committee, if any, and while doing so record in writing the clear reason and justification for payment of remuneration beyond the said limit;
- (ii) the company has not made any default in repayment of any of its debts (including public deposits) or debentures or interest payable thereon preference shares and dividend on preference shares for a continuous period of thirty days in the preceding financial year before the date of payment to such managerial personnel;
- (iii) the approval of shareholders by way of a special resolution at a general meeting of the company for payment of remuneration for a period not exceeding three years;
- (iv) a statement along-with a notice calling the general meeting referred to clause (iii) of sub-rule (2) above, shall contain the information as per sub clause (iv) of second proviso to clause (B) of section II of part-II of Schedule V of the Act including reasons and justification for payment of remuneration beyond the said limit;

(v) the company has filed Balance Sheet and Annual Return which are **due to be** filed with the Registrar of Companies.

(3) Every such application seeking approval shall be made to the Central Government within a period of ninety days from the date of such appointment.

8. Appointment of Key Managerial Personnel.-

Every listed company and every other public company having a paid-up share capital of ten crore rupees or more shall have whole-time key managerial personnel.

9. Secretarial Audit Report.-(1) For the purposes of sub-section (1) of section 204, the other class of companies shall be as under-

- (a) every public company having a paid-up share capital of fifty crore rupees or more; or
- (b) every public company having a turnover of two hundred fifty crore rupees or more.

(2) The format of the Secretarial Audit Report shall be in Form No. **MR.3**.

10. Duties of Company Secretary.-

The duties of Company Secretary shall also discharge, the following duties, namely:-

- (1) to provide to the directors of the company, collectively and individually, such guidance as they may require, with regard to their duties, responsibilities and powers;
- (2) to facilitate the convening of meetings and attend Board, committee and general meetings and maintain the minutes of these meetings;
- (3) to obtain approvals from the Board, general meeting, the government and such other authorities as required under the provisions of the Act;
- (4) to represent before various regulators, and other authorities under the Act in connection with discharge of various duties under the Act;
- (5) to assist the Board in the conduct of the affairs of the company;
- (6) to assist and advise the Board in ensuring good corporate governance and in complying with the corporate governance requirements and best practices; and
- (7) to discharge such other duties as have been specified under the Act or rules; and
- (8) such other duties as may be assigned by the Board from time to time.

Form No. MR.1

[Pursuant to Section 196 read with Section 197 and Schedule V of the Companies Act, 2013 and pursuant to Rule 3 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014]

**Return of appointment of key managerial personnel**

Form language English Hindi

Refer instruction kit for filing the form.

1.(a) *Corporate identity number (CIN) of company

Pre-Fill

(b) Global location number (GLN) of company

2.(a) Name of the company

(b) Address of the registered office of the company

3.(a) *Director identification number (DIN) or income-tax permanent account number (PAN) or membership number

(b) *Name

4. Designation Manager Managing Director Whole Time Director CEO CFO Secretary

5. * Date of the resolution by the board of directors

(DD/MM/YYYY)

6. * Effective date of appointment

(DD/MM/YYYY)

7. Terms and conditions including remuneration-

(a) Remuneration Per month Per Annum

i. Salary (In Rs)

ii. Perquisites(In Rs.)

iii. Others (In Rs.)

iv. Total of (i) to (iii) (In Rs.)

(b) * Tenure of appointment From (DD/MM/YYYY)
To (DD/MM/YYYY)

(c) Other terms, if any

8. *(a) Whether the age of the appointee is more than 70 years Yes No

(b) If yes, date of passing of special resolution by the shareholders approving the appointment

(c) SRN of related Form No. MGT.14 (for filing of Special Resolution)

9. *(a) Whether the appointee had been convicted or detained under any of the Acts mentioned in Part I of Schedule V Yes No

(b) If yes, Date of obtaining Central Government's approval

10. *(a) Whether the approval for such appointment has been obtained from the members in general meeting Yes No

(b) If yes, date of passing the resolution

(c) SRN of Form No. MGT.14 (for filing of Special Resolution)

11. * (a) Whether the appointee has been disqualified for appointment of director under section 164 of the Act Yes No

(b) If yes, give details

Attachments

1) *Copy of Board resolution;

Attach

2) Copy of shareholders resolution;

Attach

3) Copy of the Central government approval, if any;

Attach

4) Copy of letter of consent to act as Managing Director/Whole time Director/Manager/CEO/CFO/Secretary;

Attach

Attach

5) Copy of certificate by the Nomination and Remuneration Committee of the company, if any, to the effect that the remuneration is as per remuneration policy of the company

Attach

6) Optional attachments, if any.

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number* dated * sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

To be digitally signed by*DSC***Designation *DIN of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary **Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.**

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

Confirm submission

Date of signing

(DD/MM/YYYY)

Form No. MR.2

[Pursuant to section 196,197,200,201(1),203(1) and Schedule V of the Companies Act 2013 & Rule 7 of the Companies(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014]



सत्यमेव जयते

Form of application to the Central Government for approval of appointment or reappointment and remuneration or increase in remuneration or waiver for excess or over payment to managing director or whole time director or manager and commission or remuneration to directors

Form language English Hindi

Refer instruction kit for filing the form.

1. (a) *Corporate identification number (CIN) of the company

Pre-fill

(b) Global location number (GLN) of the company 2. (a) Name of the company (b) Address of registered office of the company

(c) *email ID of the company

3. Date of incorporation

Calender

(DD/MM/YYYY)

4. (a)*This form is being filed for seeking Central Government's approval for

- o Appointment or reappointment without complying with the Part I of Schedule V
- o Payment of remuneration exceeding 11 percent of Net Profit
- o Waiver of excess remuneration paid during a particular financial year
- o Payment of remuneration exceeding the limits provided in Schedule V

(b) Whether the application has been filed in time

Yes No

5. (1) Particulars of the proposed appointee or the person in whose respect the application is filed

Director Identification Number (DIN) or

Income tax permanent account number

Pre-fill

(Income tax PAN)

Name

Address

Father's name

Nationality

Date of birth

Calender

(DD/MM/YYYY)

Place of birth

Educational, professional qualifications and brief profits of the appointee or the person in whose respect the Application is filed

Experience

Years

Months

(2) In case the proposed appointee is a foreign citizen, furnish the following details also-

(i) ISO Country code

(ii) Country

(iii) Passport number

(iv) Validity of passport

(v) Occupation

6. (a) Whether

Appointment Reappointment

(b) Effective date of appointment or reappointment Calender (DD/MM/YYYY)

(c) Designation offered

7. (a) Which of the clause(s) of Part I of Schedule V to the Companies Act, 2013 is or are not satisfied

(b) Section and the Act under which the appointee was convicted or detained

(c) Details of the offence committed due to which the proposed appointee is disqualified

8. (a) Whether the proposed appointee or the person in whose respect the application is filed suffers from any of the disqualification mentioned in section 164(2) of the Act. o Yes o No

(b) If yes, furnish the details thereof

9. Justification of such appointment

10. Details of resolution passed for such appointment

(a) Date of passing Board resolution

Calender

(DD/MM/YYYY)

(b) Date of Nomination Committee and Remuneration Committee's resolution

(c) Date of Members' Resolution

11. Financial position of the company-

(1) Financial parameters for the immediately preceding three financial years as per balance sheet and profit and loss account filed by the company

Pre-fill

(Amount in rupees)			
Particulars	Date of balance sheet (DD/MM/YYYY)	Date of balance sheet (DD/MM/YYYY)	Date of balance sheet (DD/MM/YYYY)
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date of filing (DD/MM/YYYY)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Paid-up capital	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Reserves and surplus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Profit and loss account (debit balance)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Domestic turnover	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Export turnover	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total income	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Managerial remuneration	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total expenditure	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Net profit or net loss (before tax and appropriation)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Income tax including deferred tax	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dividend declared (including interim dividend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(2) Net profit & loss as computed under section 198 of the act and details of remuneration paid in the immediately preceding three financial years –

(Amount in Rupees)

Particulars	Figures for the year ended	Figures for the year ended	Figures for the year ended
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Profit or loss as computed under section 198 of the Act	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11% of the above profit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total remuneration paid to all managerial personnel	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

12. Managerial remuneration paid during the last three years to be stated separately for each director or managing director or whole-time director or manager

*Number of persons as above to whom remuneration has been paid

(Details of maximum 5 persons can be provided here. In case of more than 5, provide details as an optional attachment)

(First furnish details pertaining to all executive directors and thereafter for all non-executive directors)

(i) DIN/PAN

Pre-fill

(ii) Name

(iii) Designation

(iv) In case of director, specify whether executive or non-executive

 Executive Non-executive

(v) Remuneration paid to the managerial person by the applicant company during the immediately preceding three financial years, is as follows:

Period		Salary	Perquisites and allowances	Commission, bonus and performance linked incentive	Retirals Benefits	Others	Total cost to the company	% to net profits under section 198	Whether approval of Government obtained
From (DD/MM/YYYY)	To (DD/MM/YYYY)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	

13. (i) Details of remuneration per annum (including perquisites and commission) as on the date of application drawn in any other company, by the appointee or the person in whose respect application is filed:

CIN of the company	Name of the company (Pre fill all)	Designation	Amount (in Rs.)

(ii) Details of remuneration (including perquisites and commission) drawn by him from the company in any other capacity:

Designation	Period of payment	Amount (in Rs.)

14. Details of the resolution(s) passed: Calender (DD/MM/YYYY)
- (a) Date of board resolution
- (b) Date of Nomination and Remuneration committee's resolution Calender (DD/MM/YYYY)
- (c) Date of shareholders' resolution Calender D/MM/YYYY
- Type of resolution Ordinary Special
- In case of special resolution, SRN of Form No. MGT.14

15. Whether the company has made any default in repayment of its debts (including public deposit) or debentures or interest payable thereon for a continuous period of thirty days as prescribed in Part II of Schedule V Yes No

If Yes, furnish the details thereof

16. In case of payment of remuneration in excess of 11% of the Net Profit

(a) Current year's estimated profit or loss (computed under section 198)

(b) 11% of such profit

(c) Remuneration proposed

(d) Details in respect of proposed remuneration

Period		Salary	Perquisites and allowances	Commission, bonus and performance linked incentive	Retirals Benefits	Others	Total cost to the company	% to net profits under section 198	Whether approval of Government obtained
From (DD/MM/YYY)	To (DD/MM/YYY)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	

(e) Justification of proposal

17. In case company has no profits or its profits are inadequate,

(a) Whether the company proposes to pay minimum remuneration in the absence of or inadequacy of profits or remuneration in excess of the limits prescribed under section 197.(Radio button)

Yes No

Note : Separate application fees to be paid in respect of application under the above point

(b) Effective capital as computed under Schedule V to the Companies Act, as on last day of preceding financial year (whichever is applicable)

(c) Reason(s) for losses or inadequacy of profits

(d) Remuneration Proposed, details thereof

Period		Salary	Perquisites & Allowances	Commission, Bonus and Performance Linked Incentives	Retirals	Others	Total
From (DD/MM/YYYY)	To (DD/MM/YYYY)						

(e) If the proposed remuneration is more than one year such remuneration for each year or part thereof for the period of proposal be furnished.

Period		Salary	Perquisites & Allowances	Commission, Bonus and Performance Linked Incentives	Retirals	Others	Total
From (DD/MM/YYYY)	To (DD/MM/YYYY)						

(f) Details of the clause(s) of Schedule V of the Companies Act, 2013 which is or are not satisfied due to which the present application is being made

(g) Details in respect of proposed increase in remuneration

--

(h) Justification of the proposal

--

Waiver

18. In case of waiver,

1. Details of excess remuneration paid:

Period		Total Remuneration paid	Entitlement under the provisions of Companies Act, 2013	Excess Remuneration to waived off
From (DD/MM/YYYY)	To (DD/MM/YYYY)			

2. Circumstances under which such amount were paid in excess of the limits

--

3. Reasons for claiming waiver

--

Attachments

1. Copy of the calculation sheet of effective capital as computed under Schedule V to the Companies Act, 2013 as per previous year's audited balance sheet;
2. *Copy(s) of the resolution of Board of directors;
3. Copy of the resolution of Nomination and Remuneration committee along with its composition and designation and certificate by the said committee to the effect that the remuneration is as per remuneration policy of the company;
4. Copy of resolution of shareholder(s) along with notice and explanatory statement;
5. *Certificate from the auditor or company secretary or company secretary in

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

practice with regard to the compliance of section 196 of the Act;

6. Certificate of no-default in repayment of debts (including public deposit or debentures or interest payable thereon) for a continuous period of thirty days in the preceding financial year before the date on appointment of such managerial person, from director or company secretary of the company
7. No objection certificate from the financial institutions(s) or bank(s) to whom the company has defaulted;
8. Copy of the order of BIFR or NCLT together with the copy of a scheme of revival or rehabilitation
9. Copy of draft agreement between the company and the proposed appointee;
10. *Newspaper clipping in which notices pursuant to section clause (b) of sub-section (2) of section 201 have been published
11. Copy of employment visa/ passport, in case the proposed appointee is a foreign citizen;
12. Copies of educational or professional qualification certificate;
13. Statement as per item (iv) of third proviso of section II of Part II of Schedule V to the Companies Act, 2013
14. Projections of the Turnover and net profits for next three years;
15. Calculation of estimated profit under section 198 of the Act;
16. Auditors Certificate pursuant to Section 164(2) of the Companies Act, 2013;
17. An application under Section 460 of the Act for condonation of delay;
18. *Full and proper justification in favour of the proposal along with bio-data of the appointee;
19. Documentary proof regarding compliance of the provisions of Section 196 of the Companies Act, 2013 at the time of appointment/ re-appointment of the proposed appointee
20. Certificate by the secretary of the company or CA/CS in whole time practice to be notified erstwhile;
21. Details, if applicant company is a subsidiary of listed company;
22. Certificate from CA/CS in whole time practice along with calculation of excess remuneration paid to the appointee;
23. Optional attachment, if any

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution no. *

Dated * to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form

***To be digitally signed by**

Designation (to be given)
 (Drop down- values: Director, Manager, Company Secretary, CEO, CFO)

***Director identification number of the director; or DIN**
 or PAN of the manager or CEO or CFO; or
 Membership number of the Company secretary

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

For office use only :

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby approved

This e-Form is hereby rejected

Date of signing (DD/MM/YYYY)

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED

To,

The Members,

..... Limited

I/We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by..... (name of the company).(hereinafter called the company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me/us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my/our verification of the (name of the company's) books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I/We hereby report that in my/our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on ____, ____ complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-

mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I/we have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by (“the Company”) for the financial year ended on __, _____ according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (‘SCRA’) and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (‘SEBI Act’):-
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and
 - (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;
- (vi) (Mention the other laws as may be applicable specifically to the company)

I/we have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchange(s), if applicable;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

Note: Please report specific non compliances / observations / audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of the above para wise.

I/we further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of

the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

I/we further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Note: Please report specific observations / qualification, reservation or adverse remarks in respect of the Board Structures/system and processes relating to the Audit period.

I/we further report that during the audit period the company has

(Give details of specific events / actions having a major bearing on the company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. referred to above).

For example:

- (i) Public/Right/Preferential issue of shares / debentures/sweat equity, etc.
- (ii) Redemption / buy-back of securities
- (iii) Major decisions taken by the members in pursuance to section 180 of the Companies Act, 2013
- (iv) Merger / amalgamation / reconstruction, etc.
- (v) Foreign technical collaborations

Place :

Signature:

Date : Name of Company Secretary in practice / Firm:

ACS/FCS No.

C P No.:

Note: Parawise details of the Audit finding, if necessary, may be placed as annexure to the report.

[F. No. 01/05/2013 CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.